कार्यालय,भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल

क्रमांक /राजस्व/भोविप्रा/15 भोपाल दिनांक.............. 2015

कमजोर एवं निम्न आय वर्ग हेतु म0प्र0 शासन की अटल आश्रय योजनान्तर्गत भोपाल विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना

"घरौदा बर्रई (कटारा हिल्स)

योजना में सर्वसुविधायुक्त पार्किंग एवं लिफ्ट सुविधा के साथ बी.एच.के. एवं 2 बी.एच.के.आवासीय प्रकोष्ठ पंजीयन हेतु विज्ञापन

भोपाल विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित एम्स हॉस्पिटल के समीप अटल आश्रय घरौदा बर्रई (कटारा हिल्स) योजना में निम्न विवरण अनुसार 1 बी.एच.के. एवं 2 बी.एच.के.आवासीय प्रकोष्ठ आवंटन हेतु पंजीयन के लिये निर्धारित पंजीयन राशि का बैक ड्राफ्ट जो भोपाल विकास प्राधिकरण के नाम से देय हो, के साथ आवेदन पत्र भोपाल विकास प्राधिकरण मुख्यालय प्रगति भवन, महाराणा प्रताप नगर में दिनांक 09.02.15.......से दिनांक 28.02.15......................तक आमंत्रित किये जाते है आवेदन पत्र 1 बीएचके हेतु रूपये 200/- तथा 2 बीएचके हेतु रूपये 400/- जमा कर प्राधिकरण की लेखा शाखा से प्राप्त कर उसी स्थान पर जमा किये जा सकते है, योजना के आवेदन पत्र ऑन लाईन भी बीडीए की वेबसाईट **बेबसाईड www.bda.org.in** के माध्यम से जमा किये जा सकते है। ऑन लाईन आवेदन जमा करने हेतु आवेदन का मूल्य 1 बीएचके हेतु रू0 100/- तथा 2 बीएचके हेतु रू0 200/- होगा।, जो ऑन-लाईन ई-ट्रान्जेक्शन के माध्यम से जमा किया जाएगा। ऑन लॉईन पंजीयन हेतु डी.डी.चेक या नगद रूप में स्वीकृत नही की जावेगी।

:-विवरण:-

योजना का नाम	प्रकोष्ठों/इकाईयों का विवरण तथा संख्या	क्षेत्रफल वर्गफुट बिल्टअप एरिया	आरक्षण का वर्ग तथा आरक्षित किये गये प्रकोष्ठों/इकाईयों की संख्या	प्राधिकरण द्वारा नियम कीमत रूपये प्रति प्रकोष्ठ (अनुमानित)	रजिस्ट्रीकरण प्रभार(पंजीयन राशि) रूपये	वार्षिक पट्टा भाडा (भू-भाटक) रूपये
1	2	3	4	5	6	7
घरौदा बर्रई (कटारा हिल्स)	1बी.एच.के. 220 प्रकोष्ठ	350.45 वर्गफुट	अनारक्षित	5,00000/-	50,000/-	20/-
घरौदा बर्रई (कटारा हिल्स)	2बी.एच.के. 337 प्रकोष्ठ	550.37 वर्गफुट	अनारक्षित	10,00000/-	100000/-	30/-

नोट:- (1) प्रकोष्ठों के आवेदन पत्र के साथ नियम शर्ते संलग्न रहेगी,आवेदन में उल्लेखित शर्तो का पालन आवेदक को करना अनिवार्य होगा (2) 1बी.एच.के. हेतु रू0 1.00 लाख/- तथा 2बी.एच.के. हेतु 1,00,001लाख से 2.00 लाख तक वार्षिक आसंब्रंधी स्वयं का घोषणा पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। (3) उपरोक्त प्रकोष्ठ की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेश के अनुसार देय होगी। (4)निर्धारित प्रकोष्ठों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवंटी का चयन लॉटरी पद्वती से आवंटन किया जावेगा, जिसकी सूचना समाचार पत्र के माध्यम से पंजीयनकर्ताओं को दी जावेगी ,लाटरी में असफल होने की स्थिति में पंजीयन राशि की वपिसी की कार्यवाही लाटरी के एक माह प्श्चात! प्रारम्भ की जावेगी, जो कि पंजीयन कर्ता द्वारा आवेदन में दिये गये बैक अकाउंट में सीधे जमा की जावेगी। (5) प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम व शर्ते पंजीयनकर्ताओं/ आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा। (6)अधिक जानकारी के लिये हमारी **बेबसाईड www.bda.org.in** पर लॉगऑन करें।(7)ऑन लाईन पंजीयनकर्ता अपने ऑन लाईन आवेदन पत्र,संबंधित नियम शर्ते ,शपथ पत्र आय प्रमाण पत्र , तथा अन्य दस्तावेज पंजीयन दिनांक से 7 दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करें,अन्यथा आपके द्वारा किया गया पंजीयन अमान्य किया जावेगा।

sd
भू- अर्जन अधिकारी,
भोपाल विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृष्ठां क्रमांक 224/राजस्व/भोविप्रा/15 भोपाल, दिनांक 5/2//2015
प्रतिलिपि,

1. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
2. कार्यालय सूचना पटल भो0वि0प्रा0 भोपाल ।
3. आई.टी. सेक्शन, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल।

भू-अर्जन अधिकारी,
भोपाल विकास प्राधिकरण,
भोपाल

DESKTOP/BDA/PROJECT/PROJECT